मामले की जांच के लिये एक गैर-सरकारी नागरिक समिति नियुक्त करने का है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) सरकार को ऐसे किसी दृष्टान्त का पता नहीं है जिसमें कि जिला गंगानगर में निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अधिकार में हो । जो जायदादें मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई थीं वे निष्क्रान्त सम्पत्ति, प्रशासन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कास्टोडियन के अधिकार में है । ऐसी जायदाद का अधिकार एलाटमेंट या निपटारा ऊपर कहे गये अधिनियम तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है ।

(ख) यदि कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि अमुक भूमि निष्क्रान्त जायदाद है और उसे अभी तक निष्क्रान्त जायदाद प्रशासित नहीं किया गया है तो इस सम्बन्ध में कास्टोडियन द्वारा अपने रिकार्ड को पूरा करने तथा कानून के अनुसार ऐसी भूमि के प्रशासन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेंगी ।

आदेशों का हिन्दी अनुवाद

2728. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री उटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने ऐसे कोई निर्देश दिये हैं कि कल्याण कार्यो संबन्धी सभी आदेशों तथा अन्य स्थायी आदेशों का हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस निर्देश का पालन कर रहा है;

(ग) 1, जनवरी, 1964 के बाद उन के मंत्रालय से कल्याण संबन्धी कितने परिपत्र भेजे गये और उन में से कितनों का हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा गया है; और

(घ) शेष परिपत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं भेजा गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कुल मिलाकर 10 परिपत्र जारी किए गए । सभी परिपत्रों के साथ उनके हिन्दी अनुवाद भी थे ।

(घ') प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

2729. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे आदेश निकाले थे कि प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग में कम से कम एक हिन्दी अधिकारी अवश्य नियुक्त किया जाये ;

(ख) किस किस मंत्रालय और विभाग ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है ; और

(ग) उनके ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक मंत्रालय में कम से कम एक हिन्दी अधिकारी होना चाहिये। यह सुझाव सारे मंत्रालयों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया था।

(ख) और (ग). अब तक 11 मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। शेष मंत्रालयों में इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

ब्यावर का मुहम्मद अली स्कूल

2730. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यावर में मुहम्मद अली स्कूल में पढ़ने वाले २२ हिन्दू छात्रों का नाम बदल कर मुसलमानी नाम रखा गया और तब उनको आगे पढ़ाया गया ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बंधित अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस प्रधानाध्यापक का पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता है और वह जासूसी का कार्य करता है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि ब्यावर के मोहम्मद अली स्कूल के 13 विद्यार्थियों के नाम बदले गए थे। स्कूल के रजिस्टर में अब विद्यार्थियों के मूल नाम लिख दिए गए हैं। स्कूल का हेडमास्टर, जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार था संस्था से चला गया है और इसलिये राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी।

भाषा शिक्षकों के वेतन

2731. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि अन्य भाषाओं के शिक्षकों तथा संस्कृत के शिक्षकों के वेतनों में समानता लाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की अभी प्रतीक्षा है।

Left Communist Detenus in Kerala

2732. { **Shri Warior:**
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any left Communist detenus in Kerala had been admitted to the hospital for treatment; and

(b) if so, their names and the complaints they are suffering from?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). A statement is given below.

STATEMENT

The information furnished by the Government of Kerala in this regard is as follow:

1. Shri C. L. Varkey, a detenu in the Central Jail Viyyur was admitted to the District Hospital, Trichur on 29th January 1965 with hydrocele but has since been discharged.